

(147) (196) (10)

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखापुर
संख्या 569/वि० भू० अ० अ० / गोरखापुर दिनांक 26/1987
अधिकार निर्णय पत्र

स्थापित भूमि अध्याप्ति बस्तु ग्राम मनहट्ट तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखापुर में सुनियोजित विकास योजना के अधीन गोरखापुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोरखापुर जिले में रामगढ़ ताल के तृतीय चरण हेतु भवन पार्क एवं बन्धों के अधिसूचना के लिए आवश्यकता है जो सचिव गोरखापुर विकास प्राधिकरण गोरखापुर द्वारा अध्याप्ति की जा रही है और उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -5 के अधिसूचना संख्या 844/11-5-87 -7-86 एल० ए० 86 तलानु 21 पारवरी 1987 के अन्तर्गत धारा 6 मया 17.18 भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अधीन यह निर्णय किया जाता है कि उक्त भूमि का अधिकार जो इस पत्र के साथ संलग्न सूची में लिखा है और जिसका केमग्राम मनहट्ट में क्षेत्रफल 132=71 एकड़ (अन स्वेप्लीस बरहत्तर 2055) आय है

इस पर अधिकार देने आज दिनांक 28-5-87 को प्राप्त किया जोगाम मनहट्ट परगना वतप्पा हवेली तहसील सदर जिला गोरखापुर में स्थित है और उसे सचिव गोरखापुर विकास प्राधिकरण गोरखापुर को आज दिनांक को कब्जा हस्तान्तरित किया गया।

अति आवश्यक

कब्जा प्राप्त

इस देश में लाहान की स्थिति गंभीर है इसलिए खाड़ी फसल को क्षति कब्जा लेते समय न पहुँचाया जाय तथा उसे कास्कारो को पकने पर काटने दिया जाय जिससे बोया है। यदि किसी विशेष स्थिति में ऐसा करना सम्भव नही और खाड़ी फसल का कब्जा लेने वाला विमा फसल की पूरी किमत फसल के मालिक को अदा कर दे।

28/5

संलग्न सूची

[Signature] 28/5/87

तहसीलदार
गोरखापुर।

संलग्न सूची में लिखा है भूमि पर अधिकार पेटियाँ इसकी एडबन्दी मेरे सामने है और सरहद मुझे दिखाई गई है। गेगाइस लिखित सूची अनुसार है और क्षेत्रफल जोड़ने पर इस ग्राम कर बकबा 132=71 एकड़ होता है।

संलग्न:-

जोगाम मनहट्ट सचिव
गोरखापुर विकास प्राधिकरण
गोरखापुर।